③

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 228 / 2021

जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नं0 17, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं मो0 न0 8696973108

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 10.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 228 / 2021 पर दिनांक 26.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 3462–63 दिनांक 26.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1990 दिनांक 28.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नं0 17, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 356 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट ने अपने पत्र कमांक 1975–76 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि उक्त परिवाद मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1579 दिनांक 18.08.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को पत्र लिखा जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4) (5) न्याय / / सू0अ0 / 21 / 1990 दिनांक 28.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नं0 17, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 356 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट ने अपने पत्र कमांक 1975–76 दिनांक 01.10.2021 के

द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि उक्त परिवाद मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उनके कार्यालय के पत्रांक 1579 दिनांक 18.08.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को पत्र लिखा जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं